


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/10908/ हिन्दी /2019-20 दिनांक-31.01.2019 के क्रम. सं.-152 पर अंकित श्री हरिराम दूत (जन्मतिथि-12.08.1959, सेवानिवृत्ति तिथि-31.08.2019) व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, सोटवारा (झुंझुनू) का सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था। उस समय श्री हरिराम दूत के विरुद्ध नियम-16 में विभागीय जांच विचाराधीन थी। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/वि.जांच/11137/आर-269/18/297-298 दिनांक-06.11.2019 द्वारा श्री हरिराम दूत, सेवानिवृत्त व्याख्याता (हिन्दी) राउमावि, सोटवारा (झुंझुनू) का विभागीय जांच प्रकरण समाप्त (DROP) किया जा चुका है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिराम दूत, सेवानिवृत्त व्याख्याता (हिन्दी) के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(सौरभ स्वामी)

आई.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/सेवानिवृत्ति/10908/2019-20/59 दिनांक-17/02/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरु संभाग, चूरु
- 2-संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर, राजस्थान, जयपुर
- 3-मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), झुंझुनू
- 3-सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 4-प्रधानाचार्य, राउमावि, सोटवारा (झुंझुनू)
- 5-श्री हरिराम दूत, सेनि. व्या.(हिन्दी), बी-8, आदर्श कॉलोनी रीको, वार्ड नं.-15, झुंझुनू-333001
- 6-रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर